

चेक लिस्ट

अनापत्ति

1. शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2012 द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर अनापत्ति/सम्बद्धता की संस्तुति हेतु गठित समिति की संस्तुति का प्रमाण।
2. महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति/ट्रस्ट के पंजीकरण एवं वैधता की स्थिति।
3. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने से सम्बन्धित खतौनी मूल रूप में या छायाप्रति तहसीलदार/उप जिलाधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति।
4. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों का संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा मूल रूप में अथवा सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित प्रमाणित होने की स्थिति जिसमें मार्ग की चौड़ाई का मापन फीट में होने का भी उल्लेख हो।
5. महाविद्यालय नगर निगम, नगरपालिका व नगर पंचायत में अवस्थित होने की स्थिति में संदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की स्थिति।
6. सोसाइटी/ट्रस्ट की विगत 3 वर्षों की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट अथवा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित सोसाइटी की वार्षिक आय का मूल प्रमाण पत्र।
7. मानकानुसार सोसाइटी/महाविद्यालय के बचत खाते में जमा धनराशि के सम्बन्ध में बैंक स्टेटमेंट की मूल प्रति।
8. प्रबन्धतन्त्र के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण/प्रविष्टियाँ तथ्यों पर आधारित एवं सही हैं, का रू0 100/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल रूप में होने की स्थिति।
9. पूर्व से संचालित महाविद्यालय होने की स्थिति में महाविद्यालय के स्थापना के समय की अनापत्ति एवं संदर्भित भूमि पर ही महाविद्यालय स्थापित होने के सन्दर्भ में गाटावार भूमि का क्षेत्रफल सहित कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में होने का रू0 100/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल रूप में होने की स्थिति।
10. स्नातकोत्तर विषयों हेतु यू0जी0सी0 की धारा-2(एफ) में पंजीकृत होने की स्थिति।
11. महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने की स्थिति।
12. मानकानुसार शिक्षक व प्राचार्य/विभागाध्यक्ष का अनुमोदन विश्वविद्यालय से होने का प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति की संविदा अवधि।
13. पूर्व में संचालित महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कितने विषयों/पाठ्यक्रमों में शिक्षण हो रहा है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या।
14. स्नातक स्तर पर स्वीकृत पाठ्यक्रमों में विगत 03 वर्षों का विषयवार परीक्षाफल।
15. पी0जी0 स्तर के विषयों हेतु 15 कि0मी0 की परिधि में संदर्भगत विषय संचालित न हो।
16. पी0जी0 स्तर के विषयों हेतु विगत 03 वर्ष का परीक्षाफल अविच्छिन्न एवं 60 प्रतिशत से कम न हो।
17. पी0जी0 स्तर के विषयों हेतु महिला महाविद्यालय में 300 व सहशिक्षा में 500 छात्र संख्या हो।
18. नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुरूप महाविद्यालय भवन निर्माण होने के सम्बन्ध में अधिकासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग या अधिकासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा जारी, पत्रांक एवं दिनांक सहित प्रमाण पत्र के उपलब्धता की स्थिति।
19. महाविद्यालय की वेबसाइट की उपलब्धता की स्थिति।
20. महाविद्यालय के प्रस्तावित भवन के मानचित्र के सत्यापित ब्लू प्रिंट की उपलब्धता की स्थिति।
21. पूर्व से संचालित महाविद्यालयों की स्थिति में अग्निशमन व्यवस्था हेतु उपकरण की उपलब्धता के सम्बन्ध में अद्यावधिक अग्निशमन प्रमाण पत्र, पूर्व संचालित विषयों/पाठ्यक्रमों की अनापत्ति एवं सम्बद्धता के उपलब्धता की स्थिति।
22. महाविद्यालय के अनापत्ति प्रस्ताव की सी0डी0 की उपलब्धता की स्थिति।

नोट:-

1. कृपया सम्बन्धित पाठ्यक्रम/विषयों की अनापत्ति हेतु उपर्युक्त क्रम के अनुसार ही पत्रावली प्रस्तुत करें।
2. अपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रस्ताव निरस्त होने पर समस्त जिम्मेदारी संस्था/महाविद्यालय प्रबंधन की होगी विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

चेक लिस्ट बी0एड0 / एम0एड0

अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता

1. शासनादेश दिनांक 10 जून, 2008 द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर अनापत्ति/सम्बद्धता की संस्तुति हेतु गठित समिति की संस्तुति का प्रमाण।
2. महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति/ट्रस्ट के पंजीकरण एवं वैधता की स्थिति।
3. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने से सम्बन्धित खतौनी मूल रूप में या छायाप्रति तहसीलदार/उप जिलाधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति।
4. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों का संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा मूल रूप में अथवा सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित प्रमाणित होने की स्थिति जिसमें मार्ग की चौड़ाई का मापन फीट में होने का भी उल्लेख हो।
5. महाविद्यालय नगर निगम, नगरपालिका व नगर पंचायत में अवस्थित होने की स्थिति में संदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की स्थिति।
6. सोसाइटी/ट्रस्ट की विगत 3 वर्षों की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट अथवा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित सोसाइटी की वार्षिक आय का मूल प्रमाण पत्र।
7. मानकानुसार सोसाइटी/महाविद्यालय के बचत खाते में जमा धनराशि के सम्बन्ध में बैंक स्टेटमेंट की मूल प्रति।
8. मानकानुसार प्राभूत धनराशि जमा होने के सम्बन्ध में एफ0डी0आर0 की छाया प्रति की उपलब्धता की स्थिति।
9. प्रबन्धतन्त्र के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण/प्रविष्टियाँ तथ्यों पर आधारित एवं सही हैं, का रु0 100/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल रूप में होने की स्थिति।
10. स्नातकोत्तर विषयों हेतु यू0जी0सी0 की धारा-2(एफ) में पंजीकृत होने की स्थिति।
11. महाविद्यालय स्थापित होने के समय प्राप्त एवं संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की अनापत्ति की स्थिति।
12. स्थायी सम्बद्धता की स्थिति में संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम की अनापत्ति, अस्थायी सम्बद्धता एवं कक्षा संचालन की अनुमति का प्रमाण उपलब्ध होने की स्थिति।
13. महाविद्यालय में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण एवं विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल।
14. महाविद्यालय में मानकानुसार कक्षाओं, पुस्तकालय, अध्यापक कक्षा, छात्र-छात्रा कक्षा, प्रशासनिक कक्षा, प्राचार्य कक्षा, परीक्षा एवं मीटिंग कक्षा, शौचालयों, पेयजल तथा चहारदीवारी आदि के निर्माण कराये जाने की स्थिति।
15. फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की स्थिति।
16. प्रयोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएं स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयन्त्र होने की स्थिति।
17. प्रबन्ध समिति के गठन व अनुमोदन की स्थिति।
18. मानकानुसार शिक्षकों का विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति।
19. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, चहारदीवारी निर्मित होने का प्रमाण पत्र व्याख्यान कक्षाओं, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुसज्जन का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति।
20. निरीक्षण मण्डल की संस्तुति।
21. विश्वविद्यालय के द्वारा सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति।
22. बैंक से शिक्षकों के वेतन भुगतान का बैंक द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जिसमें महाविद्यालय के खाते से प्रत्येक शिक्षक के खाते में नियमित रूप से माहवार/शिक्षकवार वेतन भुगतान का उल्लेख हो तथा शिक्षकों के नाम, खाता संख्या एवं धनराशि का भी अंकन हो।
23. सामूहिक नकल का आरोप न होने का प्रमाण पत्र।
24. अग्निशमन व्यवस्था हेतु उपकरण की उपलब्धता के सम्बन्ध में अद्यावधिक अग्निशमन प्रमाण पत्र के उपलब्धता की स्थिति।
25. नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुरूप महाविद्यालय भवन निर्माण होने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग या अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा जारी, पत्रांक एवं दिनांक सहित प्रमाण पत्र एवं भवन का मानचित्र के उपलब्धता की स्थिति।
26. महाविद्यालय की वेबसाइट की उपलब्धता की स्थिति।
27. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सम्बद्धता प्रस्ताव की सी0डी0 की उपलब्धता की स्थिति।
28. एन0सी0टी0ई0/चिकित्सा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों हेतु सम्बंधित निकाय के मानकानुसार भूमि, भवन एवं अभिलेख की स्थिति।
29. बी0एड0, बी0पी0एड0, एम0एड0, एम0पी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्वीकृति/सीट आवंटन के प्रमाण पत्र की स्थिति।
30. बी0एड0 पाठ्यक्रम की स्थिति में शासनादेश दिनांक 12 जुलाई, 2005 के प्राविधानों के अनुसार विभागाध्यक्ष, प्रवक्ताओं का शपथ पत्र फोटोग्राफ मूल रूप में संलग्न होने की स्थिति।
31. महाविद्यालय में बी0एड0/एम0एड0/एम0पी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित समस्त अवस्थापना सुविधाएं मानकानुसार उपलब्ध होने, अध्यापक व प्राचार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता रखने एवं विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं किसी अन्य संस्था में कार्यरत न होने का शपथ पत्र महाविद्यालय के प्रबन्धक के द्वारा मूल रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्थिति।
32. एम0एड0/एम0पी0एड0 पाठ्यक्रम की स्थिति में क्रमशः बी0एड0 एवं बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने की स्थिति।
33. बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन की स्थिति में बी0एड0 के विभागाध्यक्ष एवं निर्धारित संख्या में प्रवक्ताओं को विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा महाविद्यालय के द्वारा अनुमोदित विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं को नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है।
34. बी0एड0, बी0पी0एड0, एम0एड0, एम0पी0एड0 पाठ्यक्रम की अतिरिक्त यूनिट हेतु मानकानुसार पृथक से अवस्थापना सुविधाओं व अध्यापकों का विश्वविद्यालय से अनुमोदन एवं नियुक्ति की स्थिति।

चेक लिस्ट

अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता

1. शासनादेश दिनांक 10 जून, 2008 द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर अनापत्ति/सम्बद्धता की संस्तुति हेतु गठित समिति की संस्तुति का प्रमाण।
2. महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति/ट्रस्ट के पंजीकरण एवं वैधता की स्थिति।
3. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने से सम्बन्धित खतौनी मूल रूप में या छायाप्रति तहसीलदार/उप जिलाधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति।
4. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों का संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा मूल रूप में अथवा सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित प्रमाणित होने की स्थिति जिसमें मार्ग की चौड़ाई का मापन फीट में होने का भी उल्लेख हो।
5. महाविद्यालय नगर निगम, नगरपालिका व नगर पंचायत में अवस्थित होने की स्थिति में संदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की स्थिति।
6. सोसाइटी/ट्रस्ट की विगत 3 वर्षों की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट अथवा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित सोसाइटी की वार्षिक आय का मूल प्रमाण पत्र।
7. मानकानुसार सोसाइटी/महाविद्यालय के बचत खाते में जमा धनराशि के सम्बन्ध में बैंक स्टेटमेंट की मूल प्रति।
8. मानकानुसार प्राभूत धनराशि जमा होने के सम्बन्ध में एफ0डी0आर0 की छाया प्रति की उपलब्धता की स्थिति।
9. प्रबन्धतन्त्र के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण/प्रविष्टियाँ तथ्यों पर आधारित एवं सही हैं, का रु0 100/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल रूप में होने की स्थिति।
10. स्नातकोत्तर विषयों हेतु यू0जी0सी0 की धारा-2(एफ) में पंजीकृत होने की स्थिति।
11. महाविद्यालय स्थापित होने के समय प्राप्त एवं संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की अनापत्ति की स्थिति।
12. स्थायी सम्बद्धता की स्थिति में संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम की अनापत्ति, अस्थायी सम्बद्धता एवं कक्षा संचालन की अनुमति का प्रमाण उपलब्ध होने की स्थिति।
13. महाविद्यालय में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण एवं विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल।
14. महाविद्यालय में मानकानुसार कक्षाओं, पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्षा, शौचालयों, पेयजल तथा चहारदीवारी आदि के निर्माण कराये जाने की स्थिति।
15. फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की स्थिति।
16. प्रयोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएं स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयन्त्र होने की स्थिति।
17. प्रबन्ध समिति के गठन व अनुमोदन की स्थिति।
18. मानकानुसार शिक्षकों का विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति।
19. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, चहारदीवारी निर्मित होने का प्रमाण पत्र व्याख्यान कक्षाओं, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुसज्जन का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति।
20. निरीक्षण मण्डल की संस्तुति।
21. विश्वविद्यालय के द्वारा सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति।
22. बैंक से शिक्षकों के वेतन भुगतान का बैंक द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जिसमें महाविद्यालय के खाते से प्रत्येक शिक्षक के खाते में नियमित रूप से माहवार/शिक्षकवार वेतन भुगतान का उल्लेख हो तथा शिक्षकों के नाम, खाता संख्या एवं धनराशि का भी अंकन हो।
23. सामूहिक नकल का आरोप न होने का प्रमाण पत्र।
24. अग्निशमन व्यवस्था हेतु उपकरण की उपलब्धता के सम्बन्ध में अद्यावधिक अग्निशमन प्रमाण पत्र के उपलब्धता की स्थिति।
25. नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुरूप महाविद्यालय भवन निर्माण होने के सम्बन्ध में अधिशाली अभियंता, लोक निर्माण विभाग या अधिशाली अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा जारी, पत्रांक एवं दिनांक सहित प्रमाण पत्र एवं भवन का मानचित्र के उपलब्धता की स्थिति।
26. महाविद्यालय की वेबसाइट की उपलब्धता की स्थिति।
27. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सम्बद्धता प्रस्ताव की सी0डी0 की उपलब्धता की स्थिति।
28. एन0सी0टी0ई/चिकित्सा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित निकाय के मानकानुसार भूमि, भवन एवं अभिलेख की स्थिति।

नोट:-

1. कृपया सम्बन्धित पाठ्यक्रम/विषयों की सम्बद्धता हेतु उपर्युक्त क्रम के अनुसार ही पत्रावली प्रस्तुत करें।
2. अपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रस्ताव निरस्त होने पर समस्त जिम्मेदारी संस्था/महाविद्यालय प्रबंधन की होगी विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।